झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषय :– **राज्य में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए इस योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति को रूपये 5.00 में एक समय का खाना उपलब्ध कराने हेतु 370 दाल–भात केन्द्रों को वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान संचालित करने हेतु रूपये 1.00 (एक) प्रति किलोग्राम की दर से चावल तथा चना एवं सोयाबीन बड़ी मुफ्त में केन्द्र संचालनकर्त्ता को उपलब्ध कराने हेतु रूपये 09,22,52,520 (नौ करोड़ बाईस लाख बावन हजार पांच सौ बीस मात्र) व्यय करने की स्वीकृति एवं उक्त राशि सभी जिला को उपलब्ध कराने के संबंध में।**

राज्य में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना 15 अगस्त, 2011 से राज्य के 24 जिलों के शहरी क्षेत्रों में कुल 100 दाल–भात केन्द्र एवं 2 अक्टूबर 2011 से राज्य के 260 प्रखण्डों में एक–एक तथा धनबाद, राँची एवं जमशेदपुर शहर में labour density को देखते हुए क्रमशः 4, 3, 3 दाल–भात केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं।

2. शहरी क्षेत्र के मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्रों में 400 गरीब व्यक्तियों को, नगर पंचायत के अधीन पड़ने वाले केन्द्रों में 300 गरीब व्यक्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले केन्द्रों में 200 गरीब व्यक्तियों को प्रति दिन 200 ग्राम चावल का दाल–भात खिलाया जायेगा। राज्य में सम्प्रति 370 दाल–भात केन्द्र स्वीकृत हैं। प्रति गरीब व्यक्ति को 200 ग्राम चावल का भात देने के लिए छः माह के लिए (अक्टूबर 2014– मार्च 2015 तक) 35,208 क्वींटल चावल की आवश्यकता होगी। उक्त चावल का क्रय पूर्व में खुले बाजार बिक्री योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से किया जाता था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से अब तक चावल का आवंटन अप्राप्त रहने के कारण मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के अन्तर्गत राज्य में खुले सभी मुख्यमंत्री दाल–भात उपलब्ध कराने वाले सभी केन्द्र बंद थे।

3. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से अब तक चावल का आवंटन अप्राप्त होने के कारण चावल का क्रय बाजार समिति से राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। बाजार समिति से चावल बाजार समिति के दर पर क्रय किया जायेगा। केन्द्र संचालनकर्त्ता को रूपये 100.0 प्रति क्वींटल की दर से चावल आपूर्ति की जायेगी।

4. दाल–भात के साथ चना/सोयाबीन बड़ी की सब्जी दी जायेगी। इसके लिए केन्द्र संचालकों को चना एवं सोयाबीन बड़ी मुफ्त में दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त आलू, दाल, सब्जी, ईंधन, तेल, नमक इत्यादि वस्तुओं की व्यवस्था संचालकों द्वारा स्वयं की जायेगी। आलू आदि सब्जी के साथ सप्ताह में चना 4 दिन एवं सोयाबीन बड़ी 3 दिन दाल–भात के साथ खिलाया जायेगा। इसके लिए शहरी क्षेत्र के प्रति केन्द्र को प्रति दिन 5 किलोग्राम चना/सोयाबीन बड़ी, नगर पंचायत के अधीन पड़ने वाले प्रति केन्द्र को प्रति दिन 3.5 किलोग्राम चना/सोयाबीन बड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रखण्ड प्रति केन्द्र को 2.5 किलोग्राम चना/सोयाबीन बड़ी की दर से मुफ्त में केन्द्र संचालकों को आपूर्ति की जायेगी।

5. वित्तिय वर्ष 2014–15 में योजना के अन्तर्गत चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी की आपूर्ति जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बाजार समिति से क्रय कर केन्द्र संचालकों को आपूर्ति की जाएगी।

6. वित्तीय वर्ष 2011–12 में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के लिए स्वीकृत सभी 370 दाल–भात केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजना संचालित किया जाएगा।

7. पूर्व से संचालित दाल–भात केन्द्र की पुनः समीक्षा उपायुक्त के द्वारा की जायेगी एवं जहाँ अतिआवश्यक हो वहीं केन्द्र का संचालन किया जाऐगा यथा केन्द्र बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, कोर्ट–कचहरी, अनुमण्डल मुख्यालय, रिक्शा, टेम्पू पड़ाव एवं मुख्य बाजार क्षेत्र आदि स्थानों पर संचालन किया जाऐगा।

8. दाल–भात केन्द्र के संचालन हेतु उपायुक्तों के द्वारा स्थानीय स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह का ही चयन किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों, जिनके माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित है, का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। संचालकों के द्वारा स्वयं दाल–भात केन्द्रों के लिए समुचित स्थान, भवन की व्यवस्था की जाएगी।

9. मुख्यमंत्री दाल–भात योजना राज्य के गरीब व्यक्तियों के लिए है तथा महिलाओं के स्वनियोजन एवं स्वालंबन के अवसर प्रदान करने हेतु इस योजना का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ही करवाया जाऐगा।

10. जिला के उपायुक्त नोडल पदाधिकारी के रूप में निरीक्षण का कार्य करेंगे तथा अपर समाहर्त्ता आपूर्ति, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन की देख–रेख में इन केन्द्रों के अनुश्रवण की व्यवस्था की जाऐगी ताकि भोजन की मात्रा, साफ–सफाई आदि सुनिश्चित की जा सके। जिला एवं अनुमंडल स्तर पर इस योजना की नियमित समीक्षा की जायेगी।

11. इस व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग द्वारा योजना की राशि का आवंटन जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया जायेगा। केन्द्रों को योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सामग्रियों का आवंटन पंजी संधारित की जाएगी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक माह उपायुक्त के हस्ताक्षर से विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्रों पर लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का व्यौरा भी संधारित किया जायगा एवं प्रत्येक माह लाभान्वित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या का वांछित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. केन्द्रों के संचालन की निगरानी On Line Monitoring व्यवस्था के द्वारा सुनिश्चित किया जाऐगा। दिनांक 31.03.2015 के पश्चात इस योजना के कार्यान्वयन तथा उद्देश्यों की पूर्ति का External Agency से evaluation भी करवाया जायेगा।

13. भोजन की गुणवत्ता तथा Hygiene सुनिश्चित करने हेतु उपायुक्तों द्वारा समुचित प्रबंध किया जाएगा।

14. राज्य में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए प्रति व्यक्ति को रूपये 5.00 में एक समय का खाना उपलब्ध कराने हेतु 370 दाल–भात केन्द्रों को वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान संचालित करने हेतु रूपये 1.00 (एक) प्रति किलोग्राम की दर से चावल तथा चना एवं सोयाबीन बड़ी मुफ्त में केन्द्र संचालनकर्त्ता को उपलब्ध कराने हेत रूपये 09,22,52,520 (नौ करोड़ बाईस लाख बावन हजार पाँच सौ बीस मात्र) व्यय करने एवं सभी जिला को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्राप्त है।

15. राशि की निकासी बजट शीर्ष 3456–सिविल पूर्ति/उपशीर्ष–23–मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा। संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

16. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ० प्रदीप कुमार),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 03/ज०वि०प्र०/18/2009(पार्ट) – 3102 /राँची, दिनांक – 09.10.14

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी एक सौ अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 03/ज०वि०प्र०/18/2009(पार्ट) – 3102 /राँची, दिनांक – 09.10.14

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 03/ज०वि०प्र०/18/2009(पार्ट) – 3102 /राँची, दिनांक – 09.10.14

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के आप्त सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन/सभी अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति)/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 03/ज०वि०प्र०/18/2009(पार्ट) – 3102 /राँची, दिनांक – 09.10.14

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 03/ज०वि०प्र०/18/2009(पार्ट) – 3102 /राँची, दिनांक – 09.10.14

प्रतिलिपि– बजट प्रशाखा, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।